



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2013/फाल्गुन 23, 1934

No. 136] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2013/PHALGUNA 23, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2013

सा.का.नि. 171(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 141(अ) का अधिक्रमण करते हुए, उन संबंधित कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हैं, केन्द्र सरकार एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, चैयरमेन
- माननीय श्री न्यायमूर्ति विपिन संधी, सदस्य
- माननीय श्री न्यायमूर्ति सुरेश कैत, सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2013 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 674/1/2005-सी.शु.-VIII]

शंकर लाल, अवर सचिव

पाद टिप्पणी.—अधिसूचना सं. सा.का.नि. 141(अ), दिनांक 12 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), दिनांक 13 मार्च, 2012 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2013

G.S.R. 171(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. No. 141(E), dated 12th March, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of:—

- Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul, Chairman
- Hon'ble Mr. Justice Vipin Sanghi, Member
- Hon'ble Mr. Justice Suresh Kait, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2013.

[F. No. 674/1/2005-Cus. VIII]

SHANKER LAL, Under Secy.

Footnote.—The Notification G.S.R. No. 141(E), dated 12th March, 2012 was published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 13th March, 2012.